संख्या–1–ई.एम./2006–का–4–2009

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 16 जनवरी, 2009

विषयः–उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली 1979 के नियमों का अनुपालन किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–25/89/2000–का–4–2002, दिनांक 12.11.2002 के द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि राज्य कर्मचारी समुदाय के केवल मान्यता प्राप्त सेवा संघों/ परिसंघों/ महासंघों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर ही विचार किया जाय तथा उन्हीं के प्रतिनिधियों को आवश्यकतानुसार विचार–विमर्श एवं वार्ता हेतु आमंत्रित किया जाय ।

2. शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । अतः इस संबंध में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैः–

(1) केवल मान्यता प्राप्त महासंघों/ परिसंघों/ संघों के ज्ञापनों पर विचार किया जाय ।

(2) जिन मान्यता प्राप्त संगठनों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पदाधिकारी बनाया गया है, के ज्ञापनों पर विचार न किया जाय और न ही उन्हें वार्ता हेतु आमंत्रित किया जाय ।

(3) ऐसे मान्यता प्राप्त संगठन, जिनमें एक से अधिक गुट हैं तथा समस्त गुटों के पदाधिकारी सेवारत सरकारी सेवक हैं, को नोटिस जारी करते हुए, उनसे कहा जाय कि वे एक साथ चुनाव कराकर, कार्यकारिणी का गठन कर लें अन्यथा उनकी मान्यता समाप्त करने पर विचार किया जाय ।

3: कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–1–ई.एम./2006(1)–का–4–2008, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(विनय कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव